





**आचार्य**

**संविद - प्राविधिक शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संज्ञकडा/दिनांक- 09/08/2021

**आचार्य का पत्र**

संविद भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय काइडनाइट ऑफ इंग्लैंड, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के सम्बंध प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद स्तरीय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संशोधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने प्रवेश क्षमता सुद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उ) (उ) उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1978-AGRA PUBLIC PHARMACY COLLEGE OF DIPLOMA, ARTONI, SIKANDRABAD, AGRA

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1980, संशोधित विनियमावली-2016 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कुलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इनी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश लागूतावा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर छात्रानुसार निर्गत किये जाने वाले वासनादेश प्रेषणी होंगे, और उपरोक्त कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा जारी सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ) (उ) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संप्रदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत वासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता का अनुपालन करना होगा।

**Principal**  
**Agra Public Pharmacy College of Diploma**  
**Agra, Agra**

- ✓ संस्था को एग्रा आईटीआई(टीआई/पीटीसी/आई) में जागामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविहित/विधिविधायक/शासनपरामर्शित/एग्रा निदेशांक, प्राविधिक शिक्षा (उपरो), प्रमुख प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा निदेशांक, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ संस्थामें इन कार्योंमें पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि एग्रा आई, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, प्रमुख प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशांक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई कच दायर किया जाते है तथा दाखल कच के संबंध में कानूनशास्त्र द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपुति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो संस्था प्रतिपुति संबंधित संस्था को बनने होगी।
- ✓ संस्थामें इन कार्योंमें पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु जायजितग प्राप्त होने के पूर्व पीटीसी/आई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यनिर्वाह के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम अध्याय विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की परिचयिका मुद्रित भूमि, स्टाफ, सार-संज्ञा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति सूचना आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगियर रीकने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निर्देशक समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वीकृत निर्देशक दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-संसाधन एग्रा आई(टीआई/पीटीसी/आई)परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाते हैं तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 08/08/2021

फ़ोन- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, AGRA PUBLIC PHARMACY COLLEGE OF DIPLOMA, ARTONJ, SIKANDRABAD, AGRA

  
(सुनील कुमार सोनकर)

  
Agri Public Pharmacy College of Diploma, Artong, Agri

**कार्यालय**

**संघित प्राविधिक शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या: प्राविध/परिषद/सम्ब/उता/2022/9437

संखनऊ: दिनांक: 27/08/2022

**:कार्यालय अधिसूचना:**

अखिल भारतीय इकाई/डी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय (सीफ इन्डिया, नई दिल्ली) द्वारा संचालित वर्ष 2022-23 हेतु विदेशीय स्तरीय इकाई/डी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 27/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता सुद्धि सहित अन्य मंडों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1878-AGRA PUBLIC PHARMACY COLLEGE OF DIPLOMA

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एड-आई/डी/सी/टी/आई/डी/पी/डी/सी/आई/डी द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एड-आई/डी/सी/टी/आई/डी/पी/डी/सी/आई/डी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2008, सेमेस्टर विनियमावली-2019 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों को अनुपालन करेगी तथा बालक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित बालक लैम वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹10,30,153,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹10,40,000,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹10,22,900,000/- प्रतिवर्ष बालक लैम ही इत्येक वाक्य/वाक्यों में प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं की बालक लैम के सम्बन्ध में समाप्त-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्राचीन निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो प्रवेश की खोजतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता बालक लैम करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशिका, प्राविधिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

Principal  
Agra Public Pharmacy College of Diploma  
Agra, U.P.

- ✓ यदि संस्थान का एग्रेसिव/सीटीएड/पीसीआई से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संस्था में समस्त उपरद्विक्त संघन का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था काय उत्तरदायी होगी। विधिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्रयोग प्रशिक्षण परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश शासन के विरुद्ध परिशोर्त घाट दाखल किया जाता है तथा दाखल चार्ज के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की अपील/संशुद्धि अर्थात् निर्णय किया जाता है तो समस्त अपील/संशुद्धि संस्था की ज़ांसी होगी।
- ✓ संस्थाओं को समुक्त प्रदेश प्रीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित कन्वेंशनिंग प्रारंभ होने के पूर्व एग्रेसिव/सीटीएड/पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषदा/कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की (कन्वेंशनिंग के आयोजन से प्रवेश प्रीक्षा के आधार पर प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त समय पर निर्दिष्ट न्यूनतम आक्षेप नियमी का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि भूमि, स्टॉक, मान-सब्ब, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला बुक-सांख्यिक बुक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैली/रीजने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रभावित/अभावित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, सर्वेयर, उन्मूलन इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी मिलती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के जो कुछ स्थायी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, उपयोगिता, उपकरण एवं अन्य सार्वजनिक एग्रेसिव/सीटीएड/पीसीआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

  
(एफएआरए खान)

सचिव

दिनांक: 27/09/2023

पुसं०- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9438-9411

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, AGRA PUBLIC PHARMACY COLLEGE OF DIPLOMA

  
(एफएआरए खान)

  
AGRA PUBLIC PHARMACY COLLEGE OF DIPLOMA सचिव